

न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद।
आदेश

दिनांक 13.08.2022—

अभियुक्त की जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा किया गया। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
इलाहाबाद।